FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 15/05/2019 15:19 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/05/2019 **Time (समय):** 14:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date and Time (दिनांक और समय):** 15/05/2019 14:50 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): गांव मथाना, कुरुक्षेत्र,थाना सदर कुरुक्षेत्र

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): THANESAR SADAR

District (State) (जिला (राज्य)): KURUKSHETRA (HARYANA)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** नि. भुपिन्द्र सिंह

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1962 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**राज्य चौकसी ब्यूरो उप केन्द्र, कुरुक्षेत्र, THANESAR CITY, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**राज्य चौकसी ब्यूरो उप केन्द्र, कुरुक्षेत्र, THANESAR CITY, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अशोक कुमार			1. गांव मथाना,कुरुक्षेत्र,THANESAR SADAR,KURUKSHETRA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल लेख इस प्रकार से है- सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चैकसी ब्यूरो, अम्बाला। श्रीमान् जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 02 दिनांक 26.11.2014, कुरूक्षेत्र विरूद्ध अशोक कुमार, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत मथाना मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चैकसी विभाग के यादि क्रमांक 61/54/2014-2 चैकसी (।।) दिनांक 21.11.2014 एवं महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के पृष्ठांकन क्रमांक 16209/I-5/एस.वी.बी. दिनांक 27.11.14 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर होकर पडताल हेतू निरीक्षक राजपाल को प्राप्त हुई थी। उपरोक्त जांच में आरोप न0 20 यह था कि ग्राम पंचायत की अब तक 4 करोड की आमदन हो चुकी है और गांव में विकास कार्य नाम मात्र किये गये हैं जोकि लगभग 3 वर्ष के समय में करवाये गये है तथा सरकार से भारी मात्रा में अनुदान राशि भी प्राप्त हुई है जो विकास कार्य जैसे गली व नाले बनवाये सभी कार्यों में निम्न सामग्री का प्रयोग किया गया है। जिसकी पडताल निरीक्षक राजपाल राज्य चैकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरूक्षेत्र द्वारा की गई जांच के दौरान उपमण्डल अभियन्ता राज्य चैकसी ब्यूरो, पंचकूला से अशोक कुमार, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, मथाना द्वारा गांव में उसके कार्यकाल के दौरान करवाये गये कार्यों का मूल्यांकन करवाया गया और मूल्यांकन के दौरान निर्माण सामग्री के सैम्पल लेकर जांच के लिये न्यायवैदिक प्रयोगशाला, मधुबन भिजवाये गये। जांच सें नतीजा प्राप्त होने के बाद अशोक कुमार सरपंच के अनुरोध पर राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा मुख्यालय के आदेशानुसार निर्माण सामग्री के 3 सैम्पल एन.आई.टी.टी.टी.आर. सैक्टर-26, चण्डीगढ़ भेजकर पुनः परीक्षण का नतीजा प्राप्त किया गया। नतीजा के आधार पर उप मण्डल अभियन्ता, राज्य चैकसी ब्यूरो, पंचकूला द्वारा अपनी तकनीकी राय दी गई। जिस अनुसार अशोक कुमार सरपंच द्वारा धर्मपाल सरदाना पैनल कनिष्ठ अभियन्ता, ईश्वर सिंह, अजमेर सिंह व नराता राम कनिष्ठ अभियन्ता पंचायती राज, कुरूक्षेत्र से मिली भगत करके गांव में बनवाई गई अलग-अलग गलियों व नालों के निर्माण पर घटिया व कम निर्माण सामग्री का प्रयोग करके व मजदूरी आधिक लगनी दिखाकर स्थानीय बाजार से अच्छी गुणवता वाली निर्माण सामग्री के बिल बनवाकर निर्माण कार्यों पर घटिया व कम निर्माण सामग्री का प्रयोग करके रिकार्ड में इन्द्राज करके पंचायत फण्ड की 14,58,730/- रूपये की राशि का गबन करना पाया गया। आरोप न0 3 में प्रतिवादी अशोक कुमार पूर्व सरपंच द्वारा अपने कार्यकाल में स्ट्रीट लाईटो की खरीद एवं मुरम्मत करवाने पर कुल 7,85,268/- रूपये की राशि खर्च की गई और लगाई गई स्ट्रीट लाईटो के सम्बन्ध में उप मण्डल अधिकारी इलैक्ट्रीकल पंचायती राज अम्बाला की अध्यक्षता में कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 16.03.2017 अनुसार गांव की गलियों में स्ट्रीट लाईट सी.एफ.एल. व ओसराम कम्पनी की लाईटें बाजार भाव से अधिक दामों पर खरीदनी पाई गई तथा आरोप नं. 8 की पडताल पर आरोपी अशोक कुमार पूर्व सरपंच द्वारा करीब 9 सबमर्सीबल पम्प निरीक्षण के दौरान गांव वासियों के घरों की सीमा में लगने पाये गये। आरोप नं. 3 व 8 को भी तफतीश के दौरान देख लिए जाने का सुझाव दिया गया तथा अभियोग धारा 409,420,467,468,471,120बी. भा.द.स. के अंतर्गत दर्ज करने का सुझाव देकर अंतिम रिपोर्ट सरकार को भेजी गई थी, जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग के पत्र क्रमांक 61/54/2014-2/चौकसी-।। दिनांक 10.04.2019 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठांकन 6285/आई-1/18.04.2019 व पुलिस अधीक्षक, राज्य चैकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल के आदेश दिनांक 19.04.2019 अनुसार उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुए है। लेख अभियोग अंकित करने के लिये थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला भेजा जा रहा है। बाद अंकित करने अभियोग उच्च अधिकारियों से आगामी तफतीश के आदेश प्राप्त करने उपरांत मिशल अभियोग मय रिकार्ड सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी के हवाले की जाए। sd Bhupinder Singh Insp. (भुपिन्द्र सिंह) निरीक्षक राज्य चैकसी ब्यूरो,उप केन्द्र, कुरूक्षेत्र। अज थाना –हस्ब आमदा उपरोक्त तहरीर थाना मे प्राप्त होने पर बा हवाला रपट न. 5 समय 2.50 पी.एम. दिनांक 15.05.19 पर अभियोगांक 02 दिनांक 05.05.19 धाराधीन 409/420/467/468/471/120-बी, भा.द.सं. के तहत दर्ज रजिस्टर करके प्रथम सुचना रिपोर्ट की एक प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट बदस्त सिपाही नवीन कुमार न. 5/804 के ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कुरुक्षेत्र व नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर अनुसंधानकर्ता के पास रा.चौ.ब्यूरो उप केन्द्र कुरुक्षेत्र भिजवाई जा रही है व प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारीयों की सेवा मे अलग से भिजवाई जा रही हैं। ईन्द्राज रिकोर्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13.

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Bhupinder Singh **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 274A **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Sushil Kumar

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): 93HAP

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

Error: Subreport could not be shown.